# VPRP के भाग

1. हकदारी योजना
2. आजीविका योजना
3. सामाजिक विकास योजना
4. सामाजिक विकास योजना पब्लिक गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्स डेवलपमेंट योजना

Aajeevika
National Rural Livelihoods Mission
Government of India

Kudumbashree
Kerala State Poverty Eradication Mission
Government of Kerala

Kudumbashree-National Resource Organization

# गाँव गरीबी उन्मूलन परियोजना के लिए हकदारी योजना की तैयारी

# हकदारी योजना क्या हैं ?

1. हकदारी योजना स्वयं सहायता समूह  की सहभागिता से बनी योजना है।
2. इस योजना के अंतर्गत पात्र समूह सदस्य, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाएँ की मांग कर सकते है।
3. इस योजना का उद्देश्य यह भी है की अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी सभी को मिले ।
4. हकदारी योजना समूह,  ग्राम संगठन और पंचायत स्तर पर बनाई जाती हैं।
5. हकदारी योजना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है की समुदाय की अधिक से अधिकतम मांग GPDP प्लान में शामिल हो ।

# हकदारी योजना बनाने की तैयारी

1. प्रत्येक ग्राम संगठन में VO concept seeding meeting के दौरान, सारिणी, तिथि और समय के साथ तैयार की जानी चाहिए
2. सभी समूह सदस्य को पहले से समय, तिथि व स्थान की सूचना दे दी जाये
3. सभी समूह सदस्य को आवश्यक दस्तावेज़ लाने की सूचना दे. उदारण - राशन कार्ड , अधर कार्ड, जॉब कार्ड और अन्य
4. हकदारी योजना बनाने से पहले प्रशिक्षक को केंद्र/ राज्य की योजनाओं की पात्रता पर जानकारी होना अनिवार्य है

# योजनाओं के उदाहरण

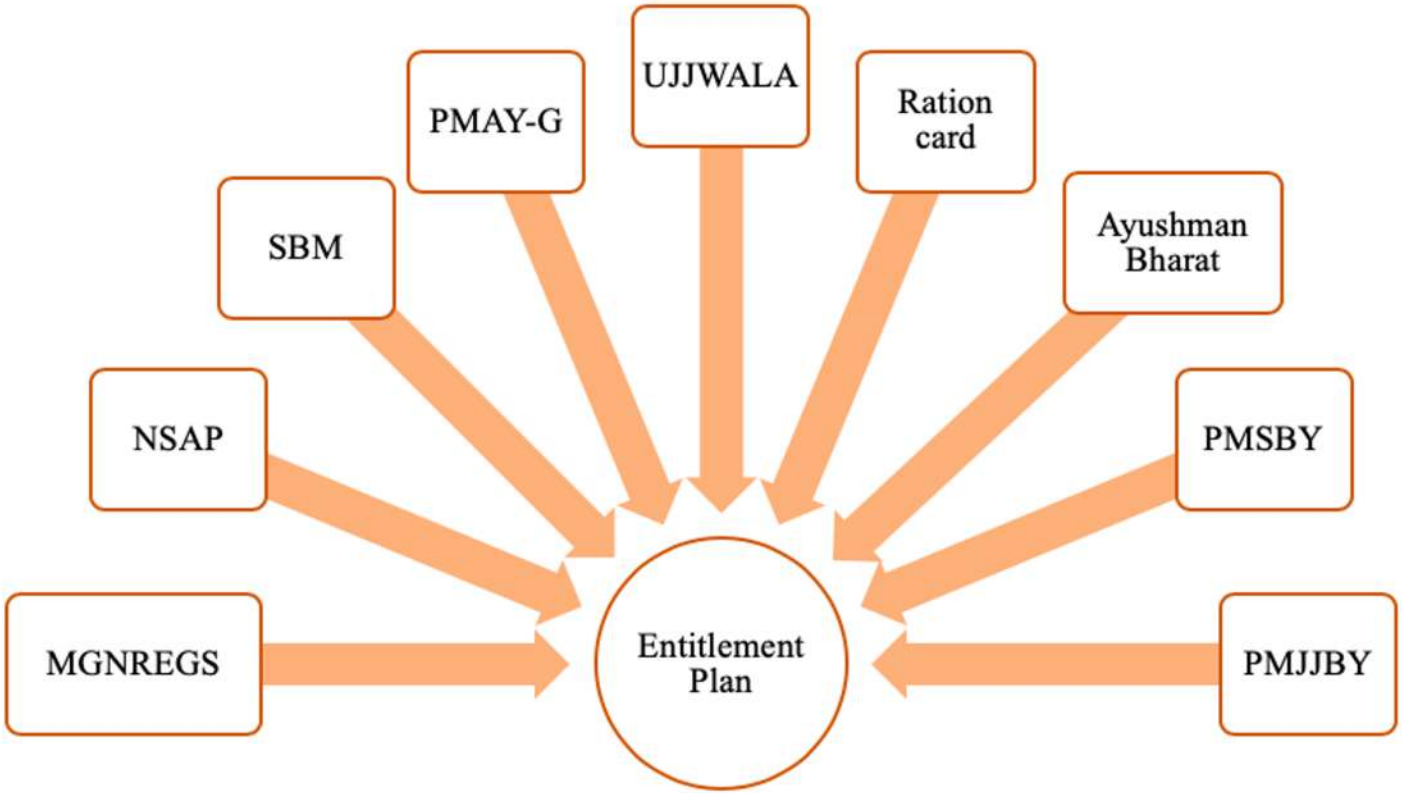
UJJWALA
PMAY-G
Ration card
SBM
Ayushman Bharat
NSAP
PMSBY
MGNREGS
Entitlement Plan
PMJJBY

# हकदारी योजना तैयार करने की प्रक्रिया

**समूह स्तर पर मांग की तैयारी:**

समूह सदस्य द्वारा बनाई हकदारी योजना प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक समूह मे तैयार होनी चाहिए।

**ग्राम संगठन समेकन :**

समूह स्तर की मांग को एकत्रित करके VO समेकन (summary) शीट के साथ लगाना हैं। ग्राम संगठन स्तर पर जो हकदारी योजना की मांग समूह के बाहर से आयेगी उनको भी इसी स्तर पर जोड़ा जायेगा। इसे कहते हैं ग्राम संगठन हकदारी योजना ।

**ग्राम पंचायत समेकन :**

यदि पंचायत में एक से ज्यादा ग्राम संगठन हैं , इस स्थिति में VO स्तर हकदारी योजनायें ग्राम पंचायत समेकन शीट के साथ लगा दी जाये , *GP prioritization and consolidation meeting* के दौरान पंचायत स्तर पर लाभार्तियो की प्राथमिकता होना अनिवार्य हैं

इसे ग्राम पंचायत स्तर हकदारी योजना कहते हैं

ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिकता :

1. MGNREGS काम मांग
2. NSAP
3. PMAY –G

# प्राथमिकता के आधार पर

SHG को प्राथमिकता के क्रम में लाभार्थियों के नामों पर चर्चा करनी चाहिए एवं लिखना चाहिए

- कमजोर या समुदाय के हाशिए पर रहने वाले लोगों को लाभ उठाने पर वरीयता मिलती है।
- दिव्यांग व्यक्ति
- बुज़ुर्ग
- महिलाओं में एकल माँ, अविवाहित माँ, परित्यक्त, विधवा और अलग-अलग आदि परिवार शामिल है।
- जादू टोना की हिंसा से शिकार व्यक्ति (witch hunting)
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
- बेघर और बेसहारा
- बीमार/ लकवाग्रस्त
- ट्रांसजेंडर समुदायों से संबंधित व्यक्ति
- बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर
- टर्मिनल या अचिकित्स्य बीमारी वाले व्यक्ति
- अत्याचार / तस्करी की शिकार महिला

# समूह स्तर हकदारी योजना बनाने की तैयारी

1. यह योजना समूह मीटिंग के दौरान , समूह स्तर पर तैयार किया जाता है
2. इस योजना के तहत लाभार्थी का नाम व् मांग दोनों समूह स्तर पर लिखा जाता है
3. कृपया लाभार्थी का नाम प्राथमिकता के आधार पर लिखे
4. योजनाएँ हकदारी योजना के अंतर्गत :
    1. MGNREGS : जॉब कार्ड, व्यक्तिगत काम का मांग और सामूहिक काम का मांग
    2. NSAP: वृधा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन
    3. SBM
    4. Health Card
    5. उज्जवाला
    6. राशन कार्ड
    7. सौभाग्य
    8. PMSBY
    9. PMJBY
    10. PMAY –G
5. राज्य फैसला ले सकते हैं अन्य योजनाओं को हकदारी योजना में डालने के लिए

# Formats

त्रिपुरा और असम में हकदारी योजना बनाने की तैयारी

# ज़रूरी बातें

1. कृपया बिना किसी सूचना के मीटिंग ना बुलाएँ,  समय, तिथि और जगह का निर्णय करके समूह की मीटींग बुलाई जाये
2. प्रशिक्षक को समूह के पदाहिकरियो को समूह मीटिंग के बारे में  एक दिन पहले बताना अनिवार्य हैं जिसमे हकदारी योजना की तैयारी होगी
3. प्रशिक्षक को ग्राम संगठन को समझाना चाहिए की इस योजना के अंतर्गत ज़रुरी नहीं की सारी माँगे पूरी होंगी
4. प्रशिक्षक के पास समूह पदाधिकारी के फ़ोन नंबर होना ज़रुरी हैं ताकि कोई परेशानी न हो गरीबी अन्मुलन योजना बनाते समय
5. हमेशा याद रखे, यह योजना सहभागिता से बनता हैं
6. फॉर्मेट में लाभार्थी का नाम प्राथमिकता के आधार पर लिखे
7. समूह स्तर पर आधिकारिक योजना बनाते समय  कॉलम ***प्राथमिकता के अनुसार***’ को खाली रखे

# VPRP के भाग

1. हकदारी योजना
2. आजीविका योजना
3. सामाजिक विकास योजना
4. सामाजिक विकास योजना पब्लिक गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्स डेवलपमेंट योजना

# गाँव गरीबी अन्मुलन परियोजना के लिए आजीविका योजना की तैयारी

# आजीविका योजना क्या हैं ?

1. इस योजना के अंतर्गत आजीविका मांग समूह सदस्य द्वारा आते हैं
2. इस योजना का उद्देश्य है की नए आजीविका को बढ़ावा दे व् अन्य मदद (type of support) भी प्रदान करे
3. समूह सदस्य द्वारा, योजना के अंतर्गत दोनों प्रकार की मांग स्वीकृत की जाती है- व्यक्तिगत और सामूहिक
4. आजीविका योजना के अंतर्गत तीन भाग हैं-खेती, पशु पालन और सूक्ष्म उद्यम
5. यह योजना बनाया जाता हैं समूह स्तर पर, समेकन ग्राम संगठन स्तर पर आखिर में ग्राम पंचायत स्तर पर

# आजीविका योजना बनाने की तैयारी

1. प्रत्येक ग्राम संगठन में VO concept seeding meeting के दौरान सारिणी , तिथि और समय के साथ तैयार की जाए
2. सभी समूह सदस्य को पहले से समय, तिथि व स्थान की सूचना दे दी जाये
3. यह ज़रूरी हैं की प्रशिक्षक को पहले से जानकारी हो SRLM और डिपार्टमेंट की ओर से मिलने वाली अन्य आजीविका योजनाओं के बारे में
4. आजीविका से संबंधित मांग पंचायत/ LSG के अंतर्गत भी आता हैं व् अन्य डिपार्टमेंटल योजनाओं के भी

# आजीविका योजना के तीन भाग

### खेती

1. इसके अंतर्गत मांग - व्यक्तिगत व् सामूहिक दोनों हो सकती हैं अपनी ज़मीन या पट्टे पर ली गयी ज़मीन की
2. योजना बनाते समय यह ध्यान दे की किस तरह की मदद की अवशाकता हैं उसके बारे में ज़रूर लिखे. उद्धरण - बीज, खाद, ट्रेनिंग आदि
3. आजीविका से संबंधित मांग पंचायत/ LSG के अंतर्गत भी आता हैं व् अन्य देपर्त्मेंतल योजना के भी
4. कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, सेरिचुल्तुरे विभाग

### पशु पालन

1. इसके अंतर्गत मांग - व्यक्तिगत व् सामूहिक दोनों हो सकती हैं
2. पशु पालन के अंतर्गत मांग- गाय, बकरी, मश्लिपालन, भैस की हो सकती हैं
3. योजना बनाते समय यह ध्यान दे की किस तरह की मदद की अवशाकता हैं उसके बारे में ज़रूर लिखे. उद्धरण - शेड की व्यवस्था, टीका करण, बीमा अदि
4. आजीविका से संबंधित मांग पंचायत/ LSG के अंतर्गत भी आता हैं व् अन्य देपर्त्मेंतल योजना के भी
5. पशु पालन विभाग, मछली पालन विभाग

### सूक्ष्म उद्यम

1. इसके अंतर्गत मांग - व्यक्तिगत व् सामूहिक दोनों हो सकती हैं
2. योजना बनाते समय यह ध्यान दे की किस तरह की मदद की अवशाकता हैं उसके बारे में ज़रूर लिखे. उद्धरण - ट्रेनिंग, सुसिड़ेस व् मार्किट प्रमोशन
3. आजीविका से संबंधित मांग पंचायत/ LSG के अंतर्गत भी आता हैं व् अन्य देपर्त्मेंतल योजना के भी
4. मिनिस्ट्री ऑफ़ स्माल, मध्यम एंटरप्राइज और फूड प्रोसेसिंग

# आजीविका के मांग और मदद के प्रकार के उदाहरण

**खेती**

- केला वृक्षारोपण (Plantation)
- नारियल वृक्षारोपण
- चावल/ गेहू वृक्षारोपण
- निम्बू वृक्षारोपण
- सब्जी उत्पादन

**मदद के प्रकार :**

- उपकरण (equipement)
- सब्सिडी उपकरण के लिए
- सिचाई की व्यवस्था
- मृदा परीक्षण (soil testing)
- फसल बीमा
- बीज
- ट्रेनिंग

**पशु पालन**

- मुर्गी पालन
- बकरी पालन
- मछली पालन
- सूअर पालन
- पशु
- मधुमाखी पालन

**मदद के प्रकार :**

- आधारिक संरचना पशु के लिए
- चारा
- टीका करण की सुविधाएँ
- सब्सिडी पशु खरीदने के लिए
- जानवर के लिए बिमा

**सूक्ष्म उद्यम**

- बुनाई
- पापड़ बनाना
- कपड़े की दुकान
- किराने
- बेकरी
- ब्यूटी पार्लर
- कैटरिंग सर्विसेज

**मदद के प्रकार :**

- डिजाइनिंग और पैकिंग
- उपकरण फ़ूड प्रोसेसिंग,डाईंग,हैंडलूम, हस्तशिल्प आदि के लिए ट्रेनिंग

# आजीविका योजना तैयार करने की प्रक्रिया

**समूह स्तर मांग की तैयारी:**

समूह सदस्य द्वारा बनाईं आजीविका योजना प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक समूह मे तैयार होनी चाहिए।

1.खेती : व्यग्तिगत और सामूहिक कृषि
2.पशु पालन: व्यग्तिगत और सामूहिक
3.: अति लघु उद्योग: व्यग्तिगत और सामूहिक उद्युग

**ग्राम संगठन समेकन:**

समूह स्तर की मांग को एकत्रित करके VO समेकन (summary sheet) शीट के साथ लगाना हैं ग्राम संगठन स्तर पर. जो आजीविका योजना की मांग समूह के बाहर से आयेगी उनको भी इसी स्तर पर जोड़ना हैं . इसे कहते हैं ग्राम संगठन आजीविका योजना

ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिकता :
1.खेती : व्यग्तिगत और सामूहिक कृषि
2.पशु पालन: व्यग्तिगत और सामूहिक
3.अति लघु उद्योग : व्यग्तिगत और सामूहिक उद्युग

**ग्राम पंचायत समेकन:**

अगर एक से ज्यादा ग्राम संगठन हैं पंचायत में, उस स्थिति में VO स्तर आजीविका योजनायें ग्राम पंचायत समेकन शीट के साथ लगा दी जाये *GP prioritization and consolidation meeting* के *दौरान* पंचायत स्तर पर लाभार्तियो की प्राथमिकता होना अनिवार्य हैं *GP.*
इसे ग्राम पंचायत स्तर आजीविका योजना कहते हैं

# समूह स्तर आजीविका योजना बनाने की तैयारी

1. यह योजना समूह मीटिंग के दौरान  समूह स्तर पर तैयार किया जाता है
2. इस योजना के तहत लाभार्थी का नाम एवं मांग दोनों  समूह स्तर पर लिखा जाता है
3. कृपया लाभार्थी का नाम- व्यक्तिगत व् सामूहिक प्राथमिकता के आधार पर लिखे
4. आजीविका योजना के भाग:
    1. खेती : व्यग्तिगत और सामूहिक कृषि
    2. पशु पालन: व्यग्तिगत और सामूहिक
    3. उद्योग: व्यग्तिगत और सामूहिक अति लघु उद्योग
5. आजीविका के संबंधित मदद  पंचायत/ LSG व् डिपार्टमेंट दोनों से मिल सकता हैं

# प्राथमिकता के आधार पर

SHG को प्राथमिकता के क्रम में लाभार्थियों के नामों पर चर्चा और लिखना चाहिए

- कमजोर या समुदाय के हाशिए पर रहने वाले लोगों को लाभ उठाने पर वरीयता मिलती है।
- दिव्यांग व्यक्ति
- बुज़ुर्ग
- महिलाओं में एकल माँ, अविवाहित माँ, परित्यक्त, विधवा और अलग-अलग आदि परिवार शामिल है।
- जादू टोना की हिंसा से शिकार व्यक्ति (witch hunting)
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
- बेघर और बेसहारा
- बीमार/ लकवाग्रस्त
- ट्रांसजेंडर समुदायों से संबंधित व्यक्ति
- बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर
- टर्मिनल या अचिकित्स्य बीमारी वाले व्यक्ति
- अत्याचार / तस्करी की शिकार महिला

# Formats

# ज़रूरी बातें

1. कृपया  बिना किसी सूचना के मीटिंग ना बुलाए।  समय, तिथि और जगह का निर्णय करके समूह की मीटींग बुलाई जाए
2. प्रशिक्षक को समूह के पदाधिकारिओं को समूह मीटिंग के बारे में  जिसमे आजीविका योजना की तैयारी होगी एक दिन पहले बताना अनिवार्य हैं
3. प्रशिक्षक को ग्राम संगठन को समझाना चाहिए की इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य नहीं  है की सारी मांग पूरी होंगी
4. प्रशिक्षक के पास समूह पदाधिकारी के फ़ोन नंबर होना ज़रुरी हैं ताकि कोई परेशानी न हो योजना तैयार करते समय
5. हमेशा याद रखे, यह योजना सहभागिता से बनती हैं
6. लाभार्थी का नाम प्राथमिकता के आधार पर लिखे समूह फ़ॉर्मेट में
7. समूह स्तर पर आजीविका योजना बनाते समय  कॉलम ***प्राथमिकता के अनुसार'*** को खाली रखे

मणिपुर में आजीविका योजना बनाने की तैयारी